

बिहार सरकार
उद्योग निदेशालय

शुद्धि पत्र

उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना के स्वीकृत्यादेश संख्या 3583 दिनांक 04.09.15 के द्वारा मे0 इण्डिया उड क्राफ्ट इण्डस्ट्रीज, गैयारी, अररिया को रू0 2,35,000/- (मात्र दो लाख पैंतीस हजार रूपए) के डी0 जी0 सेट अनुदान के राशि की निकासी एवं भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. आवंटनादेश संख्या 20/आ0, दिनांक 22.06.2015 के द्वारा पर्याप्त राशि का आवंटन अवशेष नहीं रहने के कारण अब राज्यादेश संख्या 333 दिनांक 22.01.16 द्वारा द्वितीय अनुपूरक आगणन में उपबंधित राशि एवं आवंटनादेश संख्या 101/आ0, दिनांक 27.01.2016 के द्वारा उपलब्ध कराई गई राशि से उक्त राशि की निकासी एवं भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. शेष यथावत रहेंगे।

ह0/-
(पंकज कुमार सिंह)
उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-02/उ0नि0/डी0 जी0 सेट अनुदान-03-120/2015-...../पटना, दिनांक...../...../2016
प्रतिलिपि:-कोषागार पदाधिकारी, नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-02/उ0नि0/डी0 जी0 सेट अनुदान-03-120/2015-...../पटना, दिनांक...../...../2016
प्रतिलिपि: वित्त विभाग,बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-02/उ0नि0/डी0 जी0 सेट अनुदान-03-120/2015- 510 /पटना, दिनांक 5 / 2 /2016
प्रतिलिपि:- महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, अररिया को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/ लेखा शाखा, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना को दो प्रतियों में/ प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-2, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/ योजना शाखा, प्रशाखा-1 (सरकार)/ अई0 टी0 प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/ श्री हीरा लाल जैन, पार्टनर, मेसर्स इण्डिया उड क्राफ्ट इण्डस्ट्रीज, गैयारी, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना।

5-2-16